भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2162

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

ट्रांसजेंडर छात्र

2162. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे ट्रांसजेंडर छात्रों की संख्या का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे ट्रांसजेंडर शिक्षकों की संख्या का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत ट्रांसजेंडर गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान उच्चतर शिक्षा में ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इस हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा सूचित किया गया है,+ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) जहां पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल 814 ट्रांसजेंडर छात्रों को नामांकित किया गया है, को छोड़कर इन विश्वविद्यालयों में कोई ट्रांसजेंडर छात्र अध्ययनरत नहीं है। देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कोई ट्रांसजेंडर शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ नहीं है।
(घ) और (ड.): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा में ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की हैं:

1. यूजीसी द्वारा संचालित सभी योजनाओं के फार्म/प्रोफार्मा में सामान्य श्रेणी में ट्रांसजेंडर हेतु कॉलम का प्रावधान।

2. यूजीसी ने विश्वविद्यालय को समय-समय पर सूचित किया है कि:

(क) उनके और उनके संबंधन वाले कॉलेजों द्वारा संसाधित सभी आवेदन पत्र/ शैक्षिक दस्तावेज और अन्य सभी दस्तावेजों में ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए कॉलम शामिल हो;

(ख) यूजीसी की विभिन्न छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति योजनाओं के तहत ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर के रूप में शामिल करना;

(ग) छात्रों को बिना डर, स्टिग्मा या शर्म के पर्याप्त अनुकूल बनाने के लिए अन्य सकारात्मक कार्रवाई करना;

(घ) संकाय सदस्यों को ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन और संस्कृति पर यूजीसी द्वारा वित्त पोषित मुख्य शोध परियोजनाओं को करने हेतु प्रोत्साहित करना;

(ड.) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों के लिए कार्रवाई योजना बनाना।

3. ट्रांसजेंडर समुदाय को इसी श्रेणी के तहत यूजीसी नेट परीक्षा में बैठने हेतु फीस, आयु, पात्रता शर्तों और योग्यता मानदंडों में वही छूट दी जाए जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी श्रेणी को उपलब्ध है।

****